इजरा प्रकरण कमांक 199188/16

नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018

डिकीदार पक्ष द्वारा श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून पक्ष द्वारा श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण उभयपक्ष के निवेदन अनुसार इस लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया।

डिकीदार पक्ष की ओर से राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सी०पी०सी० का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि 4,69,068 / — रूपये की वसूली से संबंधित इस इजरा प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा अनुसार मदयून पक्ष द्वारा डिकीदारी पक्ष को संपूर्ण राशि अदा कर दी गई है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का स्वेच्छया निवेदन किया गया है।

सुना गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुये मदयून पक्ष से डिकीदार पक्ष को इस इजरा प्रकरण से संबंधित संपूर्ण राशि अदा हो जाना बताया है। अतः प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार न्यायहित में आवेदक की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजीनामा के आधार पर निरस्त किया जाता है।

> उभयपक्ष को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाये। प्रकरण में पूर्व से नियत आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

संजय सिंह गुर्जर एड. बृजराज सिंह गुर्जर एड. सदस्य सदस्य

(एस०के०गुप्ता) पीठासीन अधिकारी ख0पी०क०18 एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड